कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री कृष्ण मोहन मिश्रा, व्याख्याता (हिन्दी), श्री आर.के.जोशी राउमावि, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि, खजूरा–कुशलगढ़, बांसवाडा किया गया। श्री कृष्ण मोहन मिश्रा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या–4477/2019 श्री कृष्ण मोहन मिश्रा बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या–4477/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक–16.12.19 द्वारा अपीलार्थी श्री कृष्ण मोहन मिश्रा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री कृष्ण मोहन मिश्रा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं दौसा जिले का मूल निवासी होने, रीढ की हड्डी में समस्या होने, पुत्री दौसा जिले में अध्ययनरत होने, पत्नी शिक्षा विभाग में ही कार्यरत होने के कारण अपना पदस्थापन 1–राउमावि, ढिगारिया, लवाण,दौसा, 2–राबाउमावि सैथल, दौसा, 3–राउमावि, तीतरवाडाखुर्द, दौसा, 4–राउमावि, भांवता भांवती,दौसा, 5–राबाउमावि, मानपुर,दौसा, 6–राउमावि, गोला का बास, राजगढ, अलवर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर दिनांक–04.11.2019 को कार्यग्रहण भी कर लिया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

24/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./कृष्ण मोहन मिश्रा/4477/2019/18 दिनांक– 27/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बांसवाडा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, श्री आर.के.जोशी राउमावि, दौसा/राउमावि, खजूरा–कुशलगढ, बांसवाडा
9. श्री कृष्ण मोहन मिश्रा, व्या0 हिन्दी, राउमावि, खजूरा–कुशलगढ, बांसवाडा
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर